HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2014/कार्तिक 13, 1936

No. 567]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2014/KARTIKA 13, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 773(अ).—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

में, प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239कख के अधीन मेरे द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के संबंध में जारी किए गए तारीख 16 फरवरी, 2014 के आदेश संख्यांक का.आ. 410(अ) के खंड (क) के साथ पठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन मेरे में निहित शिक्तयों के आधार पर और उनका प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का तत्काल प्रभाव से विघटन करता हाँ।

हस्ता./-

नई दिल्ली,

(प्रणब मुखर्जी)

नवम्बर 4, 2014

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. यू-11013/3/2013-यूटीएल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2014

G.S.R. 773(E).—The following Order by the President is published for General information:—

ORDER

I, Pranab Mukherjee, President of India, by virtue, and in exercise of the powers vested in me under clause (b) of sub-section 2 of Section 6 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) read with clause (a) of the Order number S.O. 410(E), dated the 16th February, 2014 issued by me under article 239AB of the Constitution in relation to the National Capital Territory of Delhi, do hereby dissolve the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect.

Sd/-

New Delhi,

(PRANAB MUKHERJEE)

November 4, 2014

President of India

[F. No. U-11013/3/2013-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

4369 GI/2014